उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या 54/2017/2479/41-2017-19 बजट/2017

लखनऊः दिनाँकः 26 अक्टूबर, 2017

शासनादेश संख्या-50/2017/1614/41-2017-19 बजट/17 दिनांक 12 अक्टूबर,2017

का शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-50/2017/1614/41-2017-19 बजट/17 दिनांक 12 अक्टूबर,2017 के प्रस्तर-2 में प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की स्वीकृत 20 प्रतिशत की धनराशि रू0 4,59,94,400.00 (रू0 चार करोड़ उनसठ लाख चौरान्नवे हजार चार सौ मात्र) के स्थान पर त्रुटिवश रू0 4,59,44,000.00 (रू0 चार करोड़ उनसठ लाख चौवालीस हजार मात्र) अंकित हो गयी है।

2- अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.10.2017 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर संख्या-2 में प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की स्वीकृत 20 प्रतिशत की अंकित धनराशि रू0 4,59,44,000.00 (रू0 चार करोड़ उनसठ लाख चौवालीस हजार मात्र) के स्थान पर रू0 4,59,94,400.00 (रू0 चार करोड़ उनसठ लाख चौरान्नवे हजार चार सौ मात्र) पढ़ा जाय।

उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनाँक 12-10-2017 में अंकित शेष शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

बच्चू लाल
उप सचिव।

संख्या-54/2017/2479(1)/41-2017-19 बजट/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
5- मण्डलायुक्त, गोरखपुर/जिलाधिकारी, कुशीनगर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in